



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122025-268508
CG-DL-E-15122025-268508

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5583]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/अग्रहायण 24, 1947

No. 5583]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/AGRAHAYANA 24, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5778(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा "पंजाब शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरण को (पैन: AAALP0045J)" (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), जोकि पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1995 (1995 का पंजाब अधिनियम सं. 11) के अंतर्गत गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-2025 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि करदाता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1995 (1995 का पंजाब अधिनियम सं. 11) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 172/2025/फा. सं. 300195/6/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।